

नहीं थागा। श्री राज गणेश जी 17/1-19  
 लडाई गई सिद्धीने कोई कोतवाल पेशा नहीं  
 किया। इनके निरुद्ध व्यापकीय कार्यालयी माल  
 में लडाई जाती है। पत्रावली करते आजीवकाली  
 दिनांक 17/1/25 को पेश हो। पुनः

सुभाष चंद्र बोस  
 जिला सुभाष (मन)

17/1/25 पत्रावली पर हूँ नकुलपद फायकन  
 उपस्थित, फौजदारी अधिकारी अन्य कार्य  
 में व्यस्त है/ प्रमाण पर है। पत्रावली पर  
 आदेशानुसार दिनांक 21/2/25  
 को पेश हो।

21/2/25 पत्रावली पर हूँ नकुलपद फायकन  
 उपस्थित, फौजदारी अधिकारी अन्य कार्य  
 में व्यस्त है/ प्रमाण पर है। पत्रावली पर  
 आदेशानुसार दिनांक 22/3/25  
 को पेश हो।

22/3/25 पत्रावली पर हूँ नकुलपद फायकन  
 उपस्थित, फौजदारी अधिकारी अन्य कार्य  
 में व्यस्त है/ प्रमाण पर है। पत्रावली पर  
 आदेशानुसार दिनांक 9/5/25  
 को पेश हो।

31/5/25 पत्रावली पर हूँ नकुलपद फायकन  
 उपस्थित, फौजदारी अधिकारी अन्य कार्य  
 में व्यस्त है/ प्रमाण पर है। पत्रावली पर  
 आदेशानुसार दिनांक 26/6/25  
 को पेश हो।

26/6/25 पत्रावली पर हूँ नकुलपद फायकन  
 उपस्थित, फौजदारी अधिकारी अन्य कार्य  
 में व्यस्त है/ प्रमाण पर है। पत्रावली पर  
 आदेशानुसार दिनांक 14/7/25  
 को पेश हो।

14/7/25 पत्रावली पेश डरी कलियुक्त उद्योगपदाकार कर्मि  
 बचस बुनी गई पत्रावली का उद्योगपदाकार  
 कर्मि लोकर किया गया। सभी सामग्री  
 द्वारा प्रस्तुत सफ़िया पत्र बोदेस 1 किमा  
 10 सी पी सी के जमान के प्रस्तुत होने



के उपरान्त पक्षकार बनाये जाने का कथन सही पाये जाने का कथन सही पाये जाने पर सार्वजनिक पत्र बरीकार किया जाता है तथा इसी दखलाने पत्र में प्रस्तुत सशोधित पत्र के आधार पर प्रति.सं. ॥, पक्षकार बनाया जाता है वह स्व. एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात का गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त यह न्यायालय उचित पाता है की पत्र के तहत फकीमता द्वारा चाय तथा दखलाने उचित नहीं पाया जाता है कि सतिवकी सारण्या ॥, (सत्यपाल-चाहर) द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड गोदनामा सक्षम अधिकारी द्वारा तस्वीक होने की स्थिति में सही पाया गया है तथा इसी आधार पर सतिवकी सारण्या ॥, गोदनामे के आधार पर सतिव रिकार्ड में दर्ज सति.संख्या 1 भल्लेसिंह का कलक पुत्र दर्ज करने का अधिकारी है अतः न्यायालय फकीमता द्वारा प्रस्तुत पत्र तब्यों को सतिव नहीं होने की स्थिति में पत्र फकीमता स्वच्छिन्न किये जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही प्रति.संख्या ॥, सत्यपाल चाहर को भल्लेसिंह की बकालदारी बनी में कलक पुत्र के रूप में पारिभा घोषित

अहकाम  
तामील में  
य

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामील में  
जारी हुय

सिधे जाने के आदेश दिए जाते थे  
पत्रावली में मूल वाक में इतिहास डिक्री  
दिए चुकी है अतः इस सार्धना पत्र को  
आगे चलाया जाना उचित नहीं है इसी  
वृत्त पर सार्धना पत्र निरस्त किया  
जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर  
संक्षिप्त रहता है।

*(Signature)*